



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229367
CG-DL-E-02092021-229367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3286]
No. 3286]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3589(अ).—चूंकि भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711(अ), दिनांक: 29 अप्रैल 2021 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-6) के चिखली-तरसोड खंड के डिजाइन चेनेज 360.000 कि.मी. से 422.700 कि.मी. (मौजूदा चेनेज 359.310 कि.मी. से 423.680 कि.मी.) के उपयोग हेतु अपने अधिकारियों अथवा ठेकेदार के माध्यम से शुल्क वसूल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाए) को प्राधिकृत किया है, अर्थात्:-

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं वसूली) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 1711(अ) दिनांक: 29 अप्रैल 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

अधिसूचना की ऊपर तालिका-1 के पैरा-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

चूंकि, केन्द्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 863 (अ), दिनांक: 01 अप्रैल 2013 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-53) के अमरावती से गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड के 166.725 कि.मी. से 649.00 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू/जेएएल/सी-टी/टोल शुल्क/एनएच-06/2020 दिनांक 17.09.2020]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3589(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1711(E) dated 29th April 2021 authorised National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to collect , either through its officials or through a contractor, fees for the use of Chikhali- Tarsod section from Design Chainage Km 360.000 to Km 422.700 (Existing Chainage Km 359.310 to Km 423.680) of National Highway 53 (Old National Highway 6) in the State of Maharashtra

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. 1711(E) dated 29th April 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:

Para-1 above Table-1 of notification shall be substituted by the following:

Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 863(E) dated 1st April, 2013 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1998) the Central Government has entrusted the Amravati to Gujarat/Maharashtra Border Section from Km 166.725 to Km 649.00 of National Highway 6 (New National Highway 53) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");”

[F. No. NHAI/PIU/JAL/C-T/TollFee/NH-06/2020 Dtd. 17.09.2020]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.